राजस्व वाद संख्या 73/2016 अनवान गंगादेवी बनाम पुरखाराम वगेरा

4.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत करना में पेश हुई। लोक अदालत सम्मन प्राप्त हुए। वकील वादीनी अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 से 3 मय उनके वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादी एकतरफा। वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 3 ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 से 3 जरिये अधिवक्ता की ओर से दिनांक 10.?.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत पेश किया गया था। वादीनी वकील की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव दिनांक 19.4.2017 को पेश किया जा चुका है। लेकिन एक साल से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी वकील वादीनी जानबुझकर प्रकरण में बहस नहीं कर रहे है,और प्रकरण को लम्बित कर रहे है,आज भी हाजिर नहीं हुए है। अतःप्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी वास्तें–बहस पर लम्बे समय से विचाराधीन चल रहा है। वकील वादीनी की ओर प्रार्थना पत्र का जबाव दिनांक 19.4.2017 को पेश कर दिया गया था और उसी दिन बहस दोनो पक्षों की सुन ली गई थी। लेकिन न्यायालय समय तंग रहने के कारण आदेश नहीं हो सका था। उसके बाद लगभग एक साल व्यतीत होने के उपरांत भी प्रार्थना पत्र पर बहस नहीं की जा रही है। चुंकि प्रार्थना पत्र का वकील वादीनी की ओर से लिखित में जबाव पेश हो रखा है। इस कारण प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 3 की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि वादीनी की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,40,92 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशंय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पाबू भाखरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 324 रकबा 5–09 बीधा एवं ग्राम चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 357,359,390,391/2 कुल रकबा 327–06 बीधा भूमि में स्वंय को मुतवफी सोनाराम की वारिसान की हैसियत से खातेदारी धोषणा करवानें हेतु यह वादपत्र पेश किया गया है। कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 04 ने वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्सें को अपने भाईयों प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में हकतर्क करते हुए हकतर्कनामा दिनांक 19.6.2015 को लिखवाया जाकर दिनांक

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

22.6.2015 को उप पंजीयक कार्यालय सिणधरी में पंजीबद्व करवाया गया ... हकतर्कनामा के आधार पर नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 से 3 के पक्ष में पारित ... गये। वादीनी द्वारा वर्तमान में जमीनों की कीमतें बढने के कारण एवं अन्य लोगों के बहकावे में आकर उक्त सारहीन वादपत्र पेश किया गया है,एवं उक्त वादपत्र में हकतर्कनामें के तथ्यों को छिपाया गया है,रजिस्टर्ड हकतर्कनामा को सक्षम सिविल न्यायालय से खारिज करवानें के बाद ही राजस्व न्यायालय में खातेदारी घोषणा का दावा कर सकती है,इससे पहलें कतई नहीं। इस प्रकार वादीनी का वाद विधि वर्जित होने एवं राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण वादीनी का वाद खारिज किया जावें। अपनी बहस के समर्थन में 2010(1) आर.आर.टी. पेज 124 का न्यायिक द्रष्टांत पेश किया गया।

वकील वादीनी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का दिनांक 19.4.2017 को लिखित जबाव इस आशंय का प्रस्तुत किया गया था,कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मुतवफी सोनाराम पुत्र गोमाराम जाट निवासी करना (पाबूभाखरी) की जायंदा संतान है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम वर्ग के वारिसान है,सोनाराम का निर्वसीयती दिनांक 27.7.2003 को देहांत हो गया और उसके देहांत के क्षण उसकी खातेदारी भूमि ग्राम पाबू भाखरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 324 रकबा 5–09 बीघा एवं ग्राम चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 357,359,390,391/2 कुल रकबा 327–06 बीघा उसके वारिसान में निहित हो गई। कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपने पिता सोनाराम के वारिसान की गलत सूचना देकर विरासत का नामान्तकरण संख्या 412 मौजा करना व नामान्तकरण संख्या 44 मौजा चम्पा भाखरी का अपने पक्ष में खुलवा कर स्वीकृत कराया व रेकर्ड खातेदारी में सोनाराम के स्थान पर अपने नाम अंकन करा दिया। कि वादीनी को जब इस तथ्य का ज्ञान हुआ तब वादीनी ने वादग्रस्त आराजी में अपना खातेदारी 1/5 हिस्सा घोषित करने का वाद माननीय न्यायालय में पेश किया। कि 2009 डी.एन.जे.(राज.) 231 तेजसिंह बनाम सरदार उतमसिंह के हैडनोट में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मत दिया है कि केवल वादपत्र में किये गये प्रकथनों को विचारण न्यायालय द्वारा देखना अपेक्षित है,प्रतिवादीगण द्वारा पेश की गई साक्ष्य अथवा दस्तावेजात पर विचार नहीं किया जा सकता। इस न्याय द्रष्टांत के परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय को देखना यह है,कि वादीनी का वाद जिन धाराओं में लिखा गया है,उसके अनुरूप है या नहीं।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

वादीनी ने अपने स्व.पिता सोनाराम की खातेदारी जोत में वे अधिकार जो उसके पिता के देहांत पर उसमें सृजित हो गये है,उसकी धोषणा चाही है। वाद के संधारण में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। कि प्रार्थी प्रतिवादीगण को चाहिये कि वाद का पदवार जबावदावा पेश करे तथा अगर उनके पास अपने पक्ष का कोई दस्तावेज है,तो उसे जबावदावा के साथ पेश करे। ताकि निर्णायक बिन्दु कायम होकर वाद निर्णय की कार्यवाही हो सके। आर.एल.डब्ल्यू 2005(2)राज.426 छोटी बनाम सतपालसिंह में माननीय राजस्व मण्डल ने मत दिया है कि धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद साक्ष्य को अभिलेख पर लेने के पश्चात विनिश्चय करना होता है अतः आरम्भिक अवस्था में वाद खारिज नहीं किया जा सकता। कि वादीनी का वाद केवल हकतर्कनामा के एक दस्तावेज के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साक्षी से संबधित है। अतःप्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व, रिकार्ड,दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी व वकील वादीनी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित में प्रस्तुत जबाव एवं प्रस्तुत न्यायिक द्वष्टात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तथा विधि कें परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि वादीनी के वाद का मुख्य आधार यह है,कि ग्राम पाबू भाखरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 324 रकबा 5–09 बीधा एवं ग्राम चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 357,359,390,391/2 कुल रकबा 327–06 बीधा भूमि मुतवफी सोनाराम की खातेदारी में आई हुई थी। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 स्व.सोनाराम की जायंदा संतान है,पक्षकार हिन्दू विधि से शासित है। एवं स्व.सोनाराम के प्रथम वर्ग के वारिसान है। सोनाराम का निर्वसीयती दिनांक 27.7.2003 को देहांत हो गया। और देहांत के बाद वादग्रस्त भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 4 के वारिसान की हैसियत से हक हकूक पैदा हो गये। लेकिन वादीनी को उसके हक हकूको से महरूम रखते हुए प्रतिवादी संख्या 01 से 3 ने वादग्रस्त भूमि में अपने नाम दायर करवा दिये। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ वादीनी भी नाम दायर किये जाने की हकदार होने के कारण वादीनी को 1/5 हिस्सा का सहखातेदार धोषित करवानें हेतु वाद पेश किया गया। जबकि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने उप पंजीयक कार्यालय सिणधरी में वादग्रस्त भूमि के संबध में अपने हक त्याग करते हुए

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

सेवामें,

हकतर्कनामा दिनांक 22.6.2015 को प्रतिवादी संख्या 01 से 3 के पक्ष में पंजीबद्ध गया। जो पत्रावली के सलंग्न दस्तावेज प्रतिलिपि से प्रमाणित है। उक्त पंजीबद्ध दस्तोवज के आधार पर नामान्तकरण संख्या 314 ग्राम चम्पाभाखरी एवं नामान्तकरण संख्या 83 ग्राम पाबूभाखरी से हकतर्कनामा का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। वादीनी द्वारा पंजीबद्ध हकतर्कनामा करने के लगभग एक माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपंरात उक्त वाद पेश किया गया। और उक्त वादपत्र में हकतर्कनामा के तथ्यों को छिपाया गया। जबकि पत्रावली के सलंग्न रिर्काड से स्पष्ट है,कि वादग्रस्त भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिवादी संख्या 01 से 3 के पक्ष में अपने हकत्याग जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज के किये गये। राजस्व न्यायालय को पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करनें का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार नहीं हैं। और बिना पंजीबद्ध दस्तोवज को निरस्त करवायें वादीनी उक्त वादपत्र के जरिये अपने खातेदारी अधिकारी प्राप्त करनें की अधिकारीणी नहीं हो सकती है। एवं न्यायिक द्वष्टांत आर.आर.टी.2010(1) पेज 125 रणजीत कौर बनाम भगवानदास वगेरा में प्रतिपादित किया गया है,कि माननीय सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा जब तक पंजीबद्ध विकयपत्र को अपास्त न किया जाये,वाद पोषणीय नहीं हैं। जो उक्त प्रकरण की प्रवृति पर चस्पा होता है,क्योकि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने वादग्रस्त भूमि में अपने हकत्याग कर प्रतिवादी संख्या 01 से 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड हकतर्कनामा पंजीबद्ध करवाया गया। ऐसी सूरत में वादोनी का वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

लिहाजा प्रतिवादी स.01 से 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीनी का वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार में नही होनें सें वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 4/6/18 को लिखावया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दपतर हों।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner